6 अध्याय

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- वे कौन सी परिस्थितियां थी जब नीति निदेशक तत्त्वों को संविधान में समाहित करते हुए इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया गया।
- नीति निदेशक तत्त्वों के द्वारा कैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में प्रगति हो सकती है।
- सामान्य नागरिक आचार संहिता क्या है और इसकी आवश्यकता भारत जैसे विविध सामाजिक सांस्कृतिक देश में कैसे अपनी भूमिका अदा करेंगी।

परिचय (Introduction)

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं, जो भारत के राज्य का आधार हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याया तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का महत्त्व इसलिए भी है, क्योंकि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का वर्णन किया गया है। विश्व में केवल आयरलैण्ड के संविधान में ही इसका वर्णन मिलता है। राज्य के नीति निदेशक तत्त्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ-प्रदर्शक के रूप में रखा है। ये संविधान के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाते हैं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में, 'राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है'। देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने यह स्वीकार किया था कि इन्हें प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत माना जाये। प्रत्येक सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि इन्हें क्रियान्वित करे। डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में, 'उनकी (संविधान निर्माताओं) यह इच्छा थी कि कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न हों सरकार को चाहिए कि वह इन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करे'। उच्चतम न्यायालय ने भी कई निर्णयों में कानूनों की वैधता की जांच करने में इन सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। अनुच्छेद 37 के अनुसार, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है जबकि तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अत: मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है किंतु निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

नीति निदेशक तत्त्वों के सिद्धांत (Principles of Elements of Directive Policy)

नीति निदेशक तत्त्व तीन सिद्धांतों पर आधारित हैं—समाजवादी अथवा आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी, गाँधीवादी तथा बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत। इसके अलावा एक सामान्य सिद्धांत भी है। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन इस प्रकार है:

समाजवादी सिद्धांत

अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य लोक-कल्याण और न्याय की प्राप्ति के लिए अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करेगा कि—समस्त नागरिकों को समान रूप से जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें। जन-कल्याण हेतु समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का समुचित वितरण हो। जनहित के विरुद्ध धन के केन्द्रीयकरण को रोका जाये। पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की बाल्य-अवस्था का दुरूपयोग न हो, ऐसी परिस्थितियों का विरोध किया जाये जिसमें नागरिकों को अपनी सामर्थ्य एवं आयु के प्रतिकूल रोजगारों का अनुसरण करने के

लिए विवश होना पड़े। काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा और अंगहीनता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान करेगा। राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। कानून अथवा आर्थिक संगठनों द्वारा ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए जिससे कृषि उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों को कार्य तथा निर्वाह योग्य मजदूरी तथा उत्तम-स्तर और अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सु अवसर प्राप्त हो। राज्य जनता के दुर्बलतर भागों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का विशेष रूप से संरक्षण एवं उन्नति की व्यवस्था का प्रयास करेगा।

गांधीवादी सिद्धांत

नीति निदेशक तत्त्वों पर गांधीवादी विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गांधीवादी सिद्धांतों को संविधान का आधार बनाने के पक्ष में संविधान निर्माता स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही थे। गांधीवादी दर्शन पर आधारित निम्नलिखित तत्त्वों को संविधान के इस भाग में स्थान दिया गया है—राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और इन पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिससे कि वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम कर सके। राज्य समाज के दुर्बलतम वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। राज्य गांवों के कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा, गौवंश की रक्षा करेगा, विशेषकर बछड़ों, दूध देने वाले तथा भारवाही पशुओं की नस्ल को सुधारने और उनके वध-निषेध हेतु प्रयास करेगा। राज्य मादक वस्तुओं का, केवल चिकित्सा का उपयोग छोड़कर, निषेध करे।

बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत

इस वर्ग में उन निदेशक तत्त्वों को रखा जा सकता है जिन पर उदारवादियों का प्रभाव पड़ा है—राज्य सभी भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्रदान कराने की कोशिश करेगा। राज्य चौदह वर्ष तक की अवस्था वाले सभी बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। राज्य कृषि और पशु-पालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग पर संगठन करेगा। राज्य देश की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। राज्य द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। राज्य द्वारा नागरिकों के लिए एक समान कानून संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित नीति के अनुपालन का प्रयास करेगा:

(क) अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की प्रगति का।
(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का।
(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने का तथा
(घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रयास के लिए प्रोत्साहन का।

सामान्य सिद्धांत—संविधान लागू होने के बाद से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी व कार्य के साधनों में वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय तथा लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास किये हैं। युवक वर्ग व बालकों की शोषण से रक्षा करने के लिए अनेक कानून बनाये हैं—जैसे—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि। छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया है, अनुसूचित और पिछड़ी-जातियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए छात्रावृत्ति की व्यवस्था है। प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क देने के प्रयास जारी हैं यद्यपि वे अधूरे हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों और पंचायती राज्य व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए तथा धन के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है।

संविधान के अन्य भागों में निदेशक सिद्धांत—भाग 4 में समाविष्ट निदेशक सिद्धांतों के साथ-साथ राज्य से संबंधित ऐसे कुछ और निर्देश सिद्धांत भी संविधान के अन्य भागों में समाहित हैं जो न्याययोग्य नहीं हैं। ये हैं:

1. अनुच्छेद 350क राज्य को और राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय अधिकारी को यह निर्देश देता है कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों से संबद्ध बच्चों को प्रारंभिक चरण में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए।
2. अनुच्छेद 351 को यह आदेश देता है कि वह हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन दे और इसे इस तरह विकसित करे कि यह भारत की जटिल बहुलतावादी संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन जाए।
3. अनुच्छेद 335 यह आदेश देता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। इस लिहाज से संघ या किसी राज्य के विभिन्न मामलों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सेवाओं और पदों पर नियुक्ति की दृष्टि से प्रशासनिक कौशल को निरंतर बरकरार रखा जाना चाहिए।

यद्यपि अनुच्छेद 335, 350क और 351 में समाविष्ट निदेशक तत्त्व या सिद्धांत भाग 4 में शामिल नहीं है, न्यायालयों ने उन पर समान रूप से ध्यान दिया है और इस सिद्धांत को चरितार्थ किया है कि संविधान के सभी हिस्सों का एक साथ सिंहावलोकन होना चाहिए।

नीति निदेशक तत्त्वों का महत्व
(Importance of Directive Principles)

नीति निदेशक तत्त्वों की रचना व्यापक जनहित तथा लोक-कल्याण को दृष्टि में रखकर ही की गई थी, इसलिए जनमत ही इनके पीछे अनुशक्ति है। कोई भी सरकार आसानी से जनमत को अपने प्रति विमुख किए बिना

इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। इतना ही नहीं अनेक न्यायिक निर्णयों द्वारा अब इन्हें न्यायिक मान्यता भी प्राप्त हो गयी है। आज न्यायपालिका ने भी इन्हें राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक मान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अनेक निर्णयों में देश के शासन में मूलभूत तत्त्वों के रूप में मानकर संविधान की पवित्रता प्रदान की है। नीति निदेशक तत्त्व संविधान का अंतरंग अंग है। इसलिए वह संविधान का रक्षार्थ कृत संकल्प हैं। अनेक बार न्यायपालिकाओं ने संविधान की व्याख्या करते समय निदेशक तत्त्वों को दृष्टिगत रखा है। जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति-निर्देश तत्त्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। ये सिद्धांत नीति-निर्माण में सरकार की सहायता करते हैं तथा इनका उल्लंघन नैतिक दृष्टिकोण से उतना ही घातक हो सकता है, जितना मौलिक अधिकारों का। वास्तव में देखा जाये तो नीति निदेशक तत्त्व तथा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का मूल विरोधाभास नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं अपितु, पूरक एवं सहायक हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज़ विद्वान एलेन ग्लेडहिल ने कहा है 'यदि भारतीय संविधान को अपना पवित्र स्वरूप बनाए रखना है और यदि इसको स्थाई रखना है तो किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवस्थापन प्रस्तावित करना कठिन होगा जिसका आधार मौलिक अधिकार अथवा नीति निदेशक तत्त्व न हो। मौलिक अधिकारों अथवा नीति निदेशक तत्त्वों से विरोध रखने वाला वैधानिक प्रस्तावों को विरोधी दल असंवैधानिक कहकर अस्वीकृत कर देंगे'। नैतिक आदेशों को अव्यावहारिक अथवा मूल्यहीन कहकर उनका अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। ऐसे अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जीवन में नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा जिनके कारण अनेक बिगड़े हुए व्यक्ति सुधर गये हैं। यही विचार एलेन ग्लेडहिल ने भी व्यक्त किए हैं। उनके शब्दों में 'अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदेशों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी अवश्य मिल जायेंगे, जबकि उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के इतिहास पर प्रभाव पड़ा है'।

निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन

पहला संविधान संशोधन अधिनियम (1951) भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिये था। चौथे, सत्राहवें, पच्चीसवें, 42वें तथा 44वें संशोधन अधिनियमों में इसी का अनुगमन किया गया। 73वाँ संशोधन अधिनियम (1992) अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत) के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम था। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) को दिया गया है जो अनुच्छेद 49 के प्रावधान का अनुपालन है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने 1992 के उत्तरार्ध में जगन्नाथपुरी मंदिर का क्षय से संरक्षण का कार्य हाथ में लिया। अनेक योजनाएँ जैसे—मादक पेयों के प्रतिषेध हेतु कुछ राज्यों की नीति (यथा—1993 में आन्ध्र प्रदेश) अनुच्छेद 47 का ही अनुसरण है। हरित क्रांति तथा जैव—प्रौद्योगिकी में शोध का एक लक्ष्य कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण भी है, जो कि अनुच्छेद 48 का अनुसरण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वन्य जीवन अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, 1980 आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो अनुच्छेद 48(क) के क्रियान्वयन की दिशा में लिये गए हैं। 1995 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की। जिला स्तर पर कुद न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को अलग करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किया गया संशोधन अनुच्छेद 50 का अनुसरण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित करने के लिये भारत ने अनेक प्रयास किये हैं। यथा—संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की कार्यवाहियों में भाग लेना (सोमालिया, सियरा लियोन आदि), गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ व नेतृत्व करना इत्यादि। मनरेगा जैसे कार्यक्रम अनु-43 के तहत चलाये जा रहे हैं।

मौलिक अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों में अंतर

मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू हो सकते हैं, जबकि राज्य नीति के निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराये जा सकते हैं अर्थात् मौलिक अधिकार-वाद योग्य हैं जबकि नीति निदेशक तत्त्व-वाद योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत सिर्फ सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना है जबकि नीति निदेशक तत्त्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग तीन में वर्णित किया गया है जबकि भाग चार को निदेशक के अंतर्गत वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मौलिक अधिकारों को (अनुच्छेद 20 तथा 31 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर) अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, जबकि निदेशक तत्त्वों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार का विषय व्यक्ति है। यह व्यक्तियों को प्रदान कर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गयी है, जबकि नीति निदेशक तत्त्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है।

मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के मध्य न्यायिक निर्णय—मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्त्वों में सर्वोच्चता के प्रश्न को लेकर स्वतंत्रता के पश्चात् विविध समय एवं परिस्थितियों पर निम्नांकित स्थिति उत्पन्न हुई-सर्वप्रथम मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराइराजन (1951) के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचार के लिए आया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्त्वों के विरोध की स्थिति में किसे सर्वोच्चता दी जाये। न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाग 4 एवं भाग 3 के मध्य विरोध होने पर न्यायालय में मौलिक अधिकारों (भाग 3) को अधिमान (महत्त्व) दिया जायेगा। नीति निदेशक तत्त्वों को मूल अधिकारों के सहायक रूप में उल्लेखित किया गया है। नीति निदेशक तत्त्वों को प्रभावी बनाने के लिए 1951 में प्रथम, 1955 में चौथा संशोधन किया गया। केरल एजुकेशन बिल के मामले में इसे चुनौती दी गयी। उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि यद्यपि नीति निदेशक तत्त्व मूल अधिकारों पर अविभावी नहीं हो सकते हैं, तथापि मूल अधिकारों के विस्तार को निर्धारित करते समय नीति निदेशक तत्त्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद ने नीति निदेशक तत्त्वों के महत्त्व को बढ़ा दिया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में एक नया अनुच्छेद 31(ग) जोड़ा गया जो राज्य को अनुच्छेद 39(ख) और

(ग) में उल्लेखित निदेशक तत्त्वों को, कार्यान्वित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। ऐसी विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह अनुच्छेद 14 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। इस प्रकार 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में उल्लेखित निदेशक तत्त्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 25वें संविधान संशोधन में उल्लेखित निदेशक तत्त्वों के महत्त्व को स्वीकृत करते हुए इस निर्णय में न्यायाधिपति हेगड़े और मुखर्जी ने निदेशक तत्त्वों के संबंध में कहा कि संविधान का भाग 4 उस सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति को लाने के लिए बनाया गया था जिसकी पूर्ति स्वतंत्रता के बाद ही होनी थी। भाग 4 की उपेक्षा का अर्थ है, संविधान में उपबंधित शक्ति राष्ट्र को दिलाई गयी दशाओं तथा उन आदर्शों की अपेक्षा करना जिन पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। निदेशक-तत्त्वों का निष्ठापूर्वक पालन किये बिना संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति असंभव है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31(ग) का विस्तार करते हुए भाग 4 के सभी नीति निदेशक तत्त्वों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गयी है। 9 मई 1980 को मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पूर्ण खण्डपीठ ने 4:1 के बहुमत से 42वें संविधान संशोधन द्वारा किये गए अनुच्छेद 31(ग) के विस्तार को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे संविधान के 'मूलभूत ढांचे' का उल्लंघन घोषित किया। इस निर्णय के अनुसार न्यायालय के नीति निदेशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्त्व एक दूसरे के पूरक हैं। मिनर्वा मिल्स में 31ग के विस्तार को (42वां संविधान संशोधन) समाप्त कर यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 31(ग) किसी विधि को तभी संरक्षण प्रदान कर सकेगा जब वह अनुच्छेद 39(ख) तथा (ग) के निदेशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने के लिए हो तथा वह अनुच्छेद 14, 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों।

नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण

1. सामाजिक आर्थिक न्याय सम्बन्धी निदेशक तत्त्व

(क) अनुच्छेद—38—सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था।

(ख) अनुच्छेद—39—आर्थिक न्याय की स्थापना में अनुसरणीय नीति तत्त्व।

(ग) अनुच्छेद—39क—समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता।

2. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक तत्त्व

(क) अनुच्छेद—41—कुछ अवस्थाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

(ख) अनुच्छेद—42—काम का न्याय और मानवोचित अवस्थाओं का उपबंध।

(ग) अनुच्छेद—43—कामगारों के लिए जीवन-निर्वाह और मजदूरी।

(घ) अनुच्छेद—43क—उद्योगों के प्रबन्ध में कामगारों का भाग लेना।

(च) अनुच्छेद—45—बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

(छ) अनुच्छेद—46—समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति की शिक्षा और उनके हितों की उन्नति।

(ज) अनुच्छेद—47—आहार, पौष्टिक भोजन और जीवन—स्तर को ऊँचा करने का कर्त्तव्य।

3. सामाजिक कल्याण सम्बन्धी निदेशक तत्त्व

(क) अनुच्छेद—44—नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता।

(ख) अनुच्छेद—48—कृषि और पशुपालन संगठन।

(ग) अनुच्छेद—48क—पर्यावरण की सुरक्षा तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा।

(घ) अनुच्छेद—49—राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण।

(च) अनुच्छेद—50—न्यायपालिका का पृथक्करण।

(छ) अनुच्छेद—51—अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।

अध्याय सार संग्रह

- न्यायालय द्वारा नीति निदेशक तत्त्वों का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, परंतु ये देश के शासन के लिए मूलभूत तत्त्व हैं तथा विधि निर्माण में इन तत्त्वों को प्रवर्तित करना राज्य का मूलभूत कर्त्तव्य है।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के सम्बन्ध में कहा था कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व में आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं।
- भारतीय संविधान के 25वें तथा 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के महत्त्व को विशेष स्थान दिया गया क्योंकि उन्हें मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता प्रदान की गयी है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने वाली विधियों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 तथा 19 में प्रदत्त मूलाधिकार का अतिक्रमण करती है।
- मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में मुख्य अंतर यह है कि नीति निदेशक तत्त्वों का न्यायिक प्रवर्तन सम्भव नहीं है, जबकि मूल अधिकार के सम्बन्ध में ऐसा सम्भव है।
- सरकार द्वारा बनाये गये कानून संविधान के नीति निदेशक तत्त्व पर अधिक आधारित हैं।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि राज्य को निश्चित कार्यों को करने के लिए निर्देश देते हैं जबकि मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्यों को न करने के लिए निर्देश देते हैं।
- डॉ. पायली के अनुसार, 'निदेशक तत्त्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं'।
- ग्रेनविल आस्टिन ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को 'आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा' कहा है।
- प्रो. के.टी. शाह ने नीति निदेशक तत्त्वों के बारे में कहा है कि, 'यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है'।
- भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्त्व फेबियन समाजवाद की स्थापना करते हैं।
- नीति निदेशक तत्त्वों का लक्ष्य भारत में समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 'मूल अधिकार और राज्य के नीति के निदेशक तत्त्व परस्पर पूरक हैं—एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है'।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, 'यदि कोई सरकार निदेशक तत्त्वों की उपेक्षा करती है, तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा'।
- संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में विधिशास्त्र के 'वितरण-न्याय' का सिद्धांत निहित है। कानून बनाने की दृष्टि से 'वितरण-न्याय' की अवधारणा का तत्पर्य है—नागरिकों के बीच असमानता (विषमता) को समाप्त करना।
- 'नीति निदेशक तत्त्वों का लक्ष्य है' 'आर्थिक लोकतंत्र' की स्थापना करना, जो राजनैतिक लोकतंत्र से भिन्न है।
- प्रो. के.सी. ह्वियर ने नीति निदेशक तत्त्वों को 'उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र' कहा है।
- एम.सी. छागला ने कहा था कि, 'यदि इन निदेशक सिद्धांतों को अच्छे प्रकार से व्यावहारिक रूप दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाए'।
- टी.टी. कृष्णामाचारी ने नीति निदेशक तत्त्वों को भावनाओं का सच्चा कूड़ेदान कहा है।
- जेनिंग्स के अनुसार—आने वाली सदी में ये तत्त्व नि:संदेह निरर्थक हो जाएंगे।